



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 348]
No. 348]

नई दिल्ली, बुधस्पर्तिवार, अगस्त 11, 2005/श्रावण 20, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 11, 2005/SRAVANA 20, 1927

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 528(अ).—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप धारा (2) के खण्ड (ब) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) नियम, 2004 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) (संशोधन) नियम, 2005 कहा जाए।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) (संशोधन) नियम, 2004 में नियम (1) का उपनियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा :—

“(1) इन नियमों को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना) (संशोधन) नियम, 2005 कहा जाए।”

[फा. सं. 23/74/2003-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

नोट :— मुख्य नियम दिनांक 28 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 48(अ) दिनांक 28 जनवरी, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF POWER

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2005

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendment to the Central Electricity Regulatory Commission (Preparation of Annual Reports) Rules, 2004, namely :—

- (1) These rules may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Preparation of Annual Report) (Amendment) Rules, 2005.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Electricity Regulatory Commission (Preparation of Annual Reports) Rules, 2004, for sub-rule (1) of Rule (1) the following shall be substituted namely :

“(1) These rules may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Preparation of Annual Report) Rules, 2005”.

[F. No. 23/74/2003-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Note :— The Principal Rules were published *vide* G.S.R. 48(E), dated the 28th January, 2005 in the Gazette of India dated the 28th January, 2005.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 529(अ).—केन्द्रीय सरकार विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामिल का प्रारूप और समय) नियम, 2004 में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. (1) इन नियमों को दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामिल का प्रारूप और समय) (संशोधन) नियम, 2005 कहा जाए।
(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामिल का प्रारूप और समय) नियम, 2005 में नियम (1) का उप-नियम (1) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित होगा :—

“(1) ये नियम दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामिल का प्रारूप और समय) नियम, 2005 कहे जाएंगे”।

[पत्र. सं. 23/2/2004-आर एंड आर]

अजय शंकर, अपर सचिव

नोट :— मुख्य नियम दिनांक 1 जनवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 22 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2005

G.S.R. 529(E).—In exercise of the powers conferred by clause (w) of sub-section (2) of Section 176 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), the Central Government hereby makes the following amendment to the Intimation of Accidents (Form and Time of Service of Notice) Rules, 2004, namely :—

1. (1) These Rules may be called Intimation of Accidents (Form and Time of Service of Notice) (Amendment) Rules, 2005.
(2) These Rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Intimation of Accidents (Form and Time of Service of Notice) Rules, 2004, for sub-rule (1) of the Rule (1) the following shall be substituted namely :—

“(1) These rules may be called the Intimation of Accidents (Form and Time of Service of Notice) Rules, 2005”.

[F. No. 23/2/2004-R & R]

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Note :— The Principal Rules were published *vide* G.S.R. 1(E), dated the 22nd December, 2004 in the Gazette of India dated the 1st January, 2005.